कार्यालय गोरखपुर विकास प्राधिकरण,गोरखपुर

ई–नीलामी सूचना

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा संचालित/निर्मित पंडित गोविन्द बल्लभ पंत पार्क पर स्थित रिक्त कियास्क संख्या–02, 03, 04 का ई–नीलामी के माध्यम से मासिक किराये पर आवंटन हेतु दिनांक–27/11/2024 से दिनांक–04/12/2024 तक पंजीकरण खोला जा रहा है। उक्त अवधि में आनलाइन पंजीकृत आवेदकों के मध्य दिनांक–05/12/2024 को ई–नीलामी सम्पन्न की जायेगी। ई–नीलामी से सम्बन्धित नियम, शर्ते व अन्य विवरण प्राधिकरण के वेबसाइट **www.gdagkp.in** पर उपलब्ध है, जिस पर इच्छुक व्यक्ति आनलाइन पंजीकरण करा सकते है।

26/11/24

(यू0पी0 सिंह)
पी0सी0एस0
सचिव।

(आनन्द वर्द्धन)
आई0ए0एस0
उपाध्यक्ष।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा पंडित गोविन्द बल्लभ पंत पार्क पर निर्मित कियास्क का ई–नीलामी के माध्यम से किराये पर आवंटन हेतु सामान्य नियम एवं शर्ते निम्नवत है:–

1– कियास्क का आवंटन ई–नीलामी के माध्यम से 05 वर्षो के लिए किराये पर किया जायेगा। प्री–विडिंग की प्रक्रिया लागू होगी।

2– आवेदक को ई–नीलामी में भाग लेने के लिए रू0–2,03,260.00 जमानत धनराशि जमा करना होगा।

3– प्रत्येक कियास्क का न्यूनतम किराया प्रति माह रू0–20,326.00 है। विड की बोली रू0–500.00 से कम की नहीं होगी।

4– परिवार का कोई एक सदस्य ही नियमानुसार ई–नीलामी में भाग ले सकेगा।

5– निविदा की बोली में प्रतिस्पर्धात्मक दर निर्धारित करने तथा कम दर प्राप्त होने पर निविदा की बोली को निरस्त करने का अधिकारी उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर में निहित होगा।

6– कियास्क का आवंटन नियमानुसार उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में किया जायेगा।

7– कियास्क का किराया विलम्ब से जमा करने पर 18% की दर से दण्ड ब्याज देय होगा।

8– निरन्तर 04 माह तक किराये की धनराशि जमा न करने पर जमा जमानत धनराशि को जब्त कर कियास्क का आवंटन उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

9– कियास्क के 06 माह का किराया अग्रिम के रूप में जमा करना होगा, जिसपर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

10– कियास्क जहाँ है जैसे है की स्थिति में दिया जायेगा।

11– कियास्क का 06 माह का किराया अग्रिम के रूप में जमा करके पंजीकृत इकरारनामा निष्पादित कराने के पश्चात ही कब्जा दिया जायेगा।

12– आवंटित कियास्क का अधिकतम 03 माह के अन्दर इकरारनामा कराना अनिवार्य होगा तथा इकरारनामे में प्रयुक्त होने वाले स्टैम्प व करों की देयता आवंटी की होगी। अन्यथा आवंटन निरस्त करते हुए जमानत धनराशि जब्त कर लिया जायेगा।

13– नीलामी में असफल आवेदक को उनके द्वारा जमा जमानत धनराशि में से प्रशासनिक व्यय रू0–1000.00 मात्र की कटौती करते हुए वापस कर दी जायेगी, जिसपर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

14– कियास्क में खाद्य पदार्थ/खिलौना/आईसक्रिम आदि का व्यापार अनुमन्य होगा तथा किसी भी प्रकार के नशे आदि का व्यापार अनुमन्य नही होगा। निर्धारित प्रयोजन के अतिरिक्त कियास्क का अन्य कोई उपयोग किए जाने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

15– कियास्क में किसी भी प्रकार परिवर्तन आदि किया जाना पुर्णतः वर्जित होगा तथा कियास्क का विभाजन करना भी अनियमित माना जायेगा। ऐसा करने पर आवंटी द्वारा जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त करते हुए कियास्क का आवंटन उपाध्यक्ष, गोखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

16– किसी भी शासकीय/बिजली कर आदि के भुगतान का दायित्व आवंटी का होगा।

17– कियास्क में जल व विद्युत का कनेक्शन लेने तथा कियास्क व उसके आस–पास साफ–सफाई रखने का दायित्व आवंटी का होगा।